

2009 का विधयेक सं. 8

राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2009

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरः स्थापित किया जायेगा)

राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) विधयेक, 2009
(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरः स्थापित किया जायेगा)

राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 को और संशोधित करने के लिए विधयेक।

भारत गणराज्य के उनसठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**-(1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) अधिनियम, 2009 है।

(2) यह 1 अप्रैल, 2006 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

2. **2003 के राजस्थान अधिनियम सं. 4 की धारा 18 का संशोधन.**-राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003, जिसे इसमें आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 18 की विद्यमान उप-धारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

“(2) आगत कर मुजरा का दावा मूल मूपक बीजक के आधार पर जमा कराये गये कर पर ऐसे बीजक के जारी होने की तारीख से तीन मास के भीतर-भीतर अनुज्ञात किया जायेगा। तथापि, अतिरिक्त कर निक्षेप के आगत कर मुजरा का दावा ऐसे मूपक बीजक के आधार पर भी अनुज्ञात किया जा सकेगा जो किसी भी सक्षम न्यायालय या प्राधिकारी के, उच्चतर दर पर कर दर्शाते हुए दिये गये निर्णय के अनुपालन में बाद में जारी किया गया है। यदि प्रथम मूल मूपक बीजक खो जाता है तो आगत कर मुजरा ऐसी शर्तों के अध्यक्षीन रहते हुए, जो विहित की जायें, उसकी दूसरी प्रति के आधार पर अनुज्ञात किया जा सकेगा।”।

3. **2003 के राजस्थान अधिनियम सं. 4 की धारा 23 का प्रतिस्थापन.**-मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 23 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

“**23. स्वनिर्धारण.**-(1) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी, जिसने विहित समय के भीतर उस वर्ष के लिए समस्त विवरणियां फाइल कर दी हैं, धारा 24 के उपबंधों के अध्यक्षीन रहते हुए धारा 21 के अधीन फाइल की गयी ऐसी विवरणियों के आधार पर उस वर्ष के लिए निर्धारित किया हुआ समझा जायेगा।

(2) उप-धारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, कोई व्यवहारी अपने निर्धारण प्राधिकारी या आयुक्त द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को, ऐसा करने के अपने आशय की लिखित सूचना देकर तिमाही निर्धारण का विकल्प उस वर्ष, जिसके लिए ऐसा विकल्प लिया जा रहा है, के प्रारंभ से तीस दिन के भीतर-भीतर दे सकेगा। ऐसा व्यवहारी, जिसने ऐसा विकल्प दिया है और विहित समय के भीतर विवरणी फाइल कर दी है, धारा 24 के उपबंधों के अधीन, धारा 21 के अधीन फाइल की गयी विवरणी के आधार पर उस तिमाही के लिए जिससे वह सम्बन्धित है, निर्धारित किया हुआ समझा जायेगा। तथापि, वर्ष 2006-2007 से 2008-2009 तक ऐसा विकल्प विहित रीति से राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) अध्यादेश, 2008 (2008 का अध्यादेश सं. 6) के प्रारम्भ की तारीख से तीस दिन के भीतर-भीतर दिया जा सकेगा।

(3) उप-धारा (1) या (2) के अधीन निर्धारित रजिस्ट्रीकृत व्यवहारियों की एक सूची इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट मीडिया के माध्यम से प्रकाशित की जा सकेगी और ऐसा प्रकाशन, जहां कहीं भी अपेक्षित हो, ऐसे व्यवहारियों को सम्यक् सूचना समझा जायेगा।”।

4. 2003 के राजस्थान अधिनियम सं. 4 की धारा 24 का प्रतिस्थापन.—मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 24 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

“**24. निर्धारण.**—(1) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी द्वारा दी गयी प्रत्येक विवरणी उसकी शुद्धता का सत्यापन करने के लिए ऐसी संवीक्षा के अधीन होगी जो आयुक्त द्वारा अवधारित की जाये और यदि कोई भूल पायी जाती है तो निर्धारण प्राधिकारी या आयुक्त द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी व्यवहारी पर विहित प्ररूप में एक नोटिस ऐसी कालावधि के भीतर-भीतर जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाये, भूल का सुधार करने और पुनरीक्षित विवरणी फाइल करने के लिए तामील करेगा।

(2) जहां रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी, जिसने तिमाही निर्धारण का विकल्प दिया है, उप-धारा (1) के अधीन जारी नोटिस के अनुसरण में,—

(क) नोटिस के निबंधनों के अनुसार पुनरीक्षित विवरणी फाइल करता है और कर, यदि कोई हो तो निक्षिप्त

कर देता है, वहां उसे ऐसी पुनरीक्षित विवरणी के अनुसार धारा 23 की उप-धारा (2) के अधीन निर्धारित किया हुआ समझा जायेगा।

(ख) पुनरीक्षित विवरणी फाइल नहीं करता है या व्यवहारी द्वारा फाइल की गयी विवरणी नोटिस के निबंधनों के अनुसार नहीं है, वहां निर्धारण प्राधिकारी या आयुक्त द्वारा प्राधिकृत अधिकारी अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर व्यवहारी का अपनी सर्वोत्तम विवेकबुद्धि से निर्धारण करेगा।

(3) जहां रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी जो उप-धारा (2) के अधीन नहीं आते हैं, उप-धारा (1) के अधीन जारी नोटिस के अनुसरण में,—

(क) यदि नोटिस तिमाही विवरणी के लिए जारी किया जाता है और व्यवहारी नोटिस के निबंधनों के अनुसार पुनरीक्षित विवरणी फाइल कर देता है और कर को, यदि कोई हो, निक्षिप्त कर देता है और वार्षिक विवरणी में कोई अन्य भूल नहीं पायी जाती है तो वह धारा 23 की उप-धारा (1) के अधीन निर्धारित किया हुआ समझा जायेगा;

(ख) यदि वार्षिक विवरणी के लिए नोटिस जारी किया जाता है और व्यवहारी नोटिस के निबंधनों के अनुसार पुनरीक्षित विवरणी फाइल कर देता है और कर को, यदि कोई हो, निक्षिप्त कर देता है, तो वह ऐसी पुनरीक्षित विवरणी के अनुसार धारा 23 की उप-धारा (1) के अधीन निर्धारित किया हुआ समझा जायेगा;

(ग) पुनरीक्षित विवरणी फाइल नहीं करता है या व्यवहारी द्वारा फाइल की गयी विवरणी नोटिस के निबंधनों के अनुसार नहीं है तो निर्धारण प्राधिकारी या आयुक्त द्वारा प्राधिकृत अधिकारी अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर व्यवहारी का अपनी सर्वोत्तम विवेकबुद्धि से निर्धारण करेगा।

(4) जहां व्यवहारी धारा 21 के अधीन विहित कालावधि के भीतर-भीतर कोई या समस्त विवरणियां फाइल नहीं करता है, वहां निर्धारण प्राधिकारी या आयुक्त द्वारा प्राधिकृत अधिकारी व्यवहारी का उसके लेखे की पुस्तकों के आधार पर निर्धारण करेगा और यदि वह उन्हें पेश करने में विफल रहता है तो उस वर्ष या, यथास्थिति, तिमाही के लिए अपनी सर्वोत्तम विवेकबुद्धि से निर्धारण करेगा ।

(5) इस धारा के अधीन कोई भी निर्धारण आदेश सुसंगत वर्ष के अंत से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात् पारित नहीं किया जायेगा ; तथापि, आयुक्त किसी विशिष्ट मामले में, लेखबद्ध किये जाने वाले कारणों से ऐसी समय सीमा को छह मास से अनधिक की कालावधि के लिए बढ़ा सकेगा ।

(6) उप-धारा (5) में अंतर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, जहां कोई निर्धारण आदेश किसी अपील या पुनरीक्षण प्राधिकारी या किसी सक्षम न्यायालय के किसी आदेश के परिणामस्वरूप या उसे प्रभावकारी बनाने के लिए पारित किया गया है तो निर्धारण प्राधिकारी को ऐसे आदेश की संसूचना के दो वर्ष के भीतर-भीतर उसे पूरा कर लिया जायेगा। तथापि, आयुक्त किसी विशिष्ट मामले में लेखबद्ध किये जाने वाले कारणों से ऐसी समय सीमा को छह मास से अनधिक की कालावधि के लिए बढ़ा सकेगा।” ।

5. 2003 के राजस्थान अधिनियम सं. 4 की धारा 25 का संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 25 की विद्यमान उप-धारा (4) में विद्यमान अभिव्यक्ति “सुसंगत कर कालावधि” के स्थान पर अभिव्यक्ति “सुसंगत वर्ष या, यथास्थिति, तिमाही” प्रतिस्थापित की जायेगी ।

6. 2003 के राजस्थान अधिनियम सं. 4 की धारा 26 का संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 26 की विद्यमान उप-धारा (3) में विद्यमान अभिव्यक्ति “विवरणी की किसी भी कालावधि”, जहां कहीं भी आयी हो, के स्थान पर अभिव्यक्ति “किसी भी वर्ष” प्रतिस्थापित की जायेगी ।

7. 2003 के राजस्थान अधिनियम सं. 4 की धारा 34 का संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 34 में,—

- (i) मूल अधिनियम की धारा 34 की विद्यमान उप-धारा (1) में विद्यमान अभिव्यक्ति “धारा 24 की उप-धारा (2) के खण्ड (ख)” के स्थान पर अभिव्यक्ति “धारा 24 की उप-धारा (2)

के खंड (ख), धारा 24 की उप-धारा (3) के खंड (ग), धारा 24 की उप-धारा (4)'' प्रतिस्थापित की जायेगी; और

- (ii) मूल अधिनियम की धारा 34 की विद्यमान उप-धारा (2) में विद्यमान अभिव्यक्ति "धारा 24 की उप-धारा (2) के खण्ड (ख)" के स्थान पर अभिव्यक्ति "धारा 24 की उप-धारा (2) के खण्ड (ख), धारा 24 की उप-धारा (3) के खण्ड (ग), धारा 24 की उप-धारा (4)'' प्रतिस्थापित की जायेगी ।

8. 2003 के राजस्थान अधिनियम सं. 4 की धारा 73 का संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 73 में,—

- (क) मूल अधिनियम की धारा 73 की विद्यमान उप-धारा (1) में विद्यमान अभिव्यक्ति "चालीस लाख" के स्थान पर अभिव्यक्ति "एक सौ लाख" प्रतिस्थापित की जायेगी; और
- (ख) मूल अधिनियम की धारा 73 की विद्यमान उप-धारा (1) में विद्यमान स्पष्टीकरण के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—

"स्पष्टीकरण.—इस धारा के प्रयोजनों के लिए "लेखाकार" से अभिप्रेत है,—

- (i) चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 (1949 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 38) के अर्थान्तर्गत चार्टर्ड अकाउंटेंट; और
- (ii) लागत और संकर्म लेखापाल अधिनियम, 1949 (1959 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 23) के अर्थान्तर्गत लागत लेखापाल ।" ।

9. निरसन और व्यावृत्तियां.—(1) राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) अध्यादेश, 2008 (2008 का अध्यादेश सं. 6) इसके द्वारा निरसित किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होने पर भी उक्त अध्यादेश के द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन की गयी समस्त बातें, कार्रवाइयां या आदेश इस अधिनियम के द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन किये गये समझे जायेंगे ।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

धारा 18 की उप-धारा (2) में यह उपबंध है कि व्यवहारी उस कालावधि में आगत कर मुजरा का दावा कर सकता है जिसमें वह मूल मू.प.क. बीजक प्राप्त करता है, ऐसा मुजरा ऐसे बीजक की तारीख से तीन मास के पश्चात् उपलब्ध नहीं है। इसके परिणामस्वरूप व्यवहारियों को विशेष रूप से ऐसे मामलों में कठिनाई हुई है जहां न्यायालय के किसी विनिश्चय या सक्षम प्राधिकारियों द्वारा अवधारण के कारण कर की दर व्यवहारी द्वारा प्रभारित कर से अधिक है। ऐसे मामलों में व्यवहारी को कर की दर में अंतर की सीमा तक कर की अतिरिक्त रकम जमा करानी होती है। ऐसे मामलों में मूल मू.प.क. की तारीख से तीन मास की कालावधि ऐसे मामलों में आगत कर मुजरा की मंजूरी को प्रतिषिद्ध करती है। इस कठिनाई को दूर करने के लिए ऐसे मामलों में आगत कर मुजरा मंजूर करने के विद्यमान उपबंध को संशोधित किया जाना प्रस्तावित है।

निर्धारणों की विद्यमान पद्धति में व्यवहारियों का निर्धारण उनके द्वारा विवरणी की संवीक्षा के पश्चात्, यदि वे सही पायी जायें, तिमाही रूप से किया जाता है। इस पद्धति में अधिनियम के अधीन मू.प.क. व्यवहारियों से व्यापार और विनिर्माण लेखा, लाभ और हानि लेखा, मू.प.क. लेखापरीक्षा की रिपोर्ट अधिनियम के अधीन अपेक्षित मामलों में मू.प.क. लेखापरीक्षा रिपोर्ट वर्ष के अंत के नौ मास के पश्चात् अपेक्षा की जाती है। इसी प्रकार ऐसी विक्रय विवरणी के लिए छह मास की कालावधि अनुज्ञात की जाती है। जिसमें व्यवहारियों का आउटपुट कर दायित्व कम हो जाता है। संकर्म संविदाओं के मामले में अवार्ड देने वाला वार्षिक आधार पर कर कटौती प्रमाणपत्र जारी करता है। इन सभी प्रचलित परिस्थितियों में जब व्यवहारियों का निर्धारण तिमाही आधार पर किया जाता है तो ऊपर निर्दिष्ट सभी दस्तावेजों के उपयोग का महत्व इन निर्धारणों में समाप्त हो जाता है और कारबार की वास्तविक स्थिति प्रकट नहीं होती। ऐसी विद्यमान असंगत स्थिति को दूर करने के लिए मूल्य परिवर्धित कर की व्यवस्था के अधीन निर्धारण की स्कीम को तिमाही की बजाय वार्षिक बनाया जाना प्रस्तावित है। तथापि, वे व्यवहारी जो तिमाही आधार पर निर्धारण करवाना चाहते हैं, उन्हें ऐसा करने का विकल्प दिया जा रहा है।

इस पृष्ठभूमि को दृष्टि में रखते हुए अधिनियम की धारा 23 और 24 प्रतिस्थापित की जा रही है और धारा 25 और 26 संशोधित की जा रही है। उपर्युक्त संशोधनों के परिणामस्वरूप अधिनियम की धारा 34 की उप-धारा (1) और (2) को भी, धारा 24 में नये उपबंधों का निर्देश सम्मिलित करके संशोधित किया जाना प्रस्तावित है।

अधिनियम की धारा 73 की उप-धारा (1) के अधीन चालीस लाख रुपये से अधिक वार्षिक पण्यावर्त वाले व्यवहारी और वे व्यवहारी जिन्हें लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अपेक्षा से छूट नहीं दी गयी है, से अपने लेखाओं की लेखापरीक्षा चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा करवाना अपेक्षित है। राज्य के व्यापार और उद्योग के हित में इस सीमा को एक सौ लाख रुपये तक बढ़ाया जाना प्रस्तावित है।

चूंकि इन संशोधनों को 1 अप्रैल, 2006 से भूतलक्षी प्रभाव दिया जा रहा है, इसलिए इस अध्यादेश के प्रख्यापन के पूर्व इस अधिनियम के अधीन पहले ही की गयी कार्रवाई विधिमान्य हो जायेगी।

चूंकि राजस्थान विधान सभा सत्र में नहीं थी और ऐसी परिस्थितियां विद्यमान थीं जिनके कारण राजस्थान के राज्यपाल के लिए तुरन्त कार्रवाई करना आवश्यक हो गया था, इसलिए उन्होंने 8 सितम्बर, 2008 को राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) अध्यादेश, 2008 (2008 का अध्यादेश सं. 6) प्रख्यापित किया जो राजस्थान राजपत्र, असाधारण, भाग 4 (ख) में दिनांक 9 सितम्बर, 2008 को प्रकाशित हुआ।

यह विधेयक पूर्वोक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए ईप्सित है।

अतः विधेयक प्रस्तुत है।

अशोक गहलोत,
प्रभारी मंत्री।

प्रत्यायोजित विधान संबधी ज्ञापन

राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2008 के खण्ड 2 और 3 के द्वारा राज्य सरकार को निम्नलिखित शक्तियां प्रत्यायोजित की जानी प्रस्तावित हैं:—

(क) शर्तें विहित करने की शक्ति जहां मूल मूल्य परिवर्धित कर की दूसरी प्रति के आधार पर आगत कर मुजरा अनुज्ञात किया जा सकेगा; और

(ख) वर्ष 2006—2007 से 2008—2009 के लिए तिमाही निर्धारण हेतु विकल्प देने की रीति विहित करने की शक्ति;

प्रस्तावित प्रत्यायोजन ब्यौरे के विषयों से संबंधित हैं और सामान्य प्रकृति के हैं।

अशोक गहलोत,
प्रभारी मंत्री।

राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं.4)
से लिये गये उद्धरण

XX XX XX XX XX

18. आगत कर मुजरा.—(1) XX XX XX

(2) व्यवहारी ऐसी कर कालावधि में, जिसमें वह सम्यक् रूप से भरा हुआ मूल मूपक बीजक प्राप्त करता है, आगत कर मुजरे का दावा कर सकेगा तथापि, ऐसा कोई मुजरा ऐसे बीजक की तारीख से तीन मास के पश्चात् अनुज्ञात नहीं किया जायेगा । यदि मूल मूपक बीजक खो जाता है तो आगत कर मुजरा ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जो विहित की जायें, उसकी दूसरी प्रति के आधार पर अनुज्ञात किया जा सकेगा ।

(3) से (4) XX XX XX XX

XX XX XX XX XX

23. स्वनिर्धारण.—प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी, जिसने विहित समय के भीतर विवरणी फाइल कर दी है, धारा 24 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए धारा 21 के अधीन फाइल की गयी विवरणी के आधार पर ऐसी कालावधि के लिए, जिससे वह संबंधित है, फाइल की गयी विवरणी के आधार पर निर्धारित किया हुआ समझा जायेगा और इस प्रकार निर्धारित ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यवहारियों की एक सूची इलैक्ट्रानिक या प्रिन्ट मीडिया के माध्यम से प्रकाशित की जा सकेगी और ऐसा प्रकाशन, जहां कहीं भी अपेक्षित हो, ऐसे व्यवहारियों को सम्यक् सूचना समझा जायेगा :

परन्तु यह कि जहां कोई व्यवहारी विहित रीति में ऐसा विकल्प देता है वहां इस धारा के अधीन उसका निर्धारण किया हुआ नहीं समझा जायेगा ।

24. निर्धारण.—(1) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी द्वारा दी गयी प्रत्येक विवरणी उसकी शुद्धता का सत्यापन करने के लिए ऐसी संवीक्षा के अध्यधीन होगी जो आयुक्त द्वारा अवधारित की जाये और यदि किसी भूल का पता चलता है तो निर्धारण प्राधिकारी या आयुक्त द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी, ऐसी विवरणी फाइल किये जाने की अन्तिम तारीख से एक वर्ष

के भीतर-भीतर, व्यवहारी पर विहित प्ररूप में एक नोटिस ऐसी कालावधि के भीतर-भीतर, जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाये, भूल का सुधार करने और पुनरीक्षित विवरणी फाइल करने के लिए, तामील करेगा ।

(2) जहां रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी, उप-धारा (प) के अधीन जारी नोटिस के अनुसरण में,—

(क) नोटिस के निबंधनों के अनुसार पुनरीक्षित विवरणी फाइल करता है और कर, यदि कोई हो, निक्षिप्त कर देता है वहां उसे ऐसी पुनरीक्षित विवरणी के अनुसार निर्धारित किया हुआ समझा जायेगा ;

(ख) पुनरीक्षित विवरणी फाइल नहीं करता है या व्यवहारी द्वारा फाइल की गयी विवरणी नोटिस के निबंधनों के अनुसार नहीं है वहां निर्धारण प्राधिकारी या आयुक्त द्वारा प्राधिकृत अधिकारी व्यवहारी का अपनी सर्वोत्तम विवेकबुद्धि से निर्धारण करेगा ।

(3) जहां व्यवहारी धारा 21 के अधीन विहित कालावधि के भीतर-भीतर विवरणी फाइल नहीं करता है वहां निर्धारण प्राधिकारी या आयुक्त द्वारा प्राधिकृत अधिकारी विवरणी फाइल किये जाने के लिए विहित अंतिम तारीख से दो वर्ष के भीतर-भीतर, व्यवहारी का अपनी सर्वोत्तम विवेकबुद्धि से निर्धारण करेगा ।

(4) उप-धारा (3) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, जहां कोई निर्धारण आदेश किसी अपील या पुनरीक्षण प्राधिकारी या किसी सक्षम न्यायालय के किसी भी आदेश के परिणामस्वरूप या उसे प्रभावी करने के लिए पारित किया जाता है वहां वह निर्धारण प्राधिकारी को ऐसे आदेश की संसूचना के दो वर्ष के भीतर पूरा किया जायेगा; तथापि, आयुक्त ऐसी समय सीमा को लेखबद्ध किये जाने वाले कारणों से, किसी मामले विशेष में छह मास से अनधिक की कालावधि तक बढ़ा सकेगा ।

(5) जहां कोई व्यवहारी धारा 23 के परन्तुक के अधीन विकल्प देता है या जहां राज्य सरकार राज-पत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसा निदेश देती है वहां, किसी व्यवहारी का वार्षिक रूप से निर्धारण किया जा सकेगा और ऐसा कोई भी निर्धारण आदेश सुसंगत वर्ष के अंत से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात् जारी नहीं किया जायेगा; तथापि, आयुक्त किसी विशिष्ट मामले

में, अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से ऐसी समय सीमा को छह मास से अनधिक की कालावधि के लिए बढ़ा सकेगा।

25. कर के परिवर्जन या अपवंचन क मामले में निर्धारण .-

(1) से (3) X X XX

(4) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, जहां उप-धारा (1) के अधीन नोटिस जारी किया गया है, वहां ऐसा नोटिस जारी करने वाला प्राधिकारी सुसंगत कर कालावधि के लिए निर्धारण करने के लिए सक्षम होगा; और पहले से किया गया निर्धारण, यदि कोई हो, इस धारा के अधीन किये गये निर्धारण के अध्यक्षीन होगा।

26. छूट गया निर्धारण.-(1) से (2) XX XX

(3) उप-धारा (1) और (2) के अधीन का कोई भी नोटिस, विवरणी की किसी भी कालावधि के लिए किसी भी छूट गये निर्धारण के संबंध में, सुसंगत विवरणी की कालावधि की समाप्ति से, पांच वर्ष की समाप्ति के पश्चात् जारी नहीं किया जायेगा और उक्त उप-धाराओं के अधीन का कोई भी निर्धारण आठ वर्ष की समाप्ति के पश्चात् पूरा नहीं किया जायेगा, किन्तु यह परिसीमा किसी अपील प्राधिकरण या कर बोर्ड या किसी सक्षम न्यायालय द्वारा पारित किसी भी आदेश में अंतर्विष्ट किसी भी निष्कर्ष या निदेश के परिणामस्वरूप या उसे प्रभावी करने के लिए किये जाने वाले किसी भी निर्धारण पर लागू नहीं होगी।

(4) XX XX XX XX
XX XX XX XX

34. एकपक्षीय निर्धारण का पुनः खोला जाना.-(1) जहां कोई निर्धारण धारा 22 या धारा 24 की उप-धारा (2) के खण्ड (ख) या धारा 25 या धारा 26 या धारा 27 के अधीन एकपक्षीय किया गया है वहां उप-आयुक्त (प्रशासन), ऐसे निर्धारण के परिणामस्वरूप मांग नोटिस की तामील की तारीख से तीस दिन के भीतर-भीतर, व्यवहारी द्वारा ऐसी फीस, जो विहित की जाये, के साथ किये गये आवेदन पर, आदेश द्वारा, निर्धारण प्राधिकारी या, यथास्थिति, आयुक्त द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को

निर्धारण रद्द करने और विधि के उपबंधों के अनुसार नया निर्धारण करने की कार्यवाही करने का निदेश दे सकेगा।

(2) उप-धारा (1) के अधीन निदेश जारी करने के पूर्व उप-आयुक्त(प्रशासन) को यह समाधान कर लेना चाहिए कि आवेदक व्यवहारी ने धारा 22 या धारा 24 की उप-धारा (2) के खण्ड (ख) या धारा 25 या धारा 26 या धारा 27 के अधीन उसे जारी किये गये नोटिस या समन प्राप्त नहीं किये या कि वह निर्धारण के लिए उसे जारी किये गये किसी भी नोटिस या समन का पालन करने से पर्याप्त हेतुक से निवारित हो गया था।

(3) xx xx xx xx
XX XX XX XX XX

73. लेखाओं की लेखापरीक्षा.—(1) ऐसे व्यवहारी से, जिसने अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (2) के अधीन या धारा 5 के अधीन कर के संदाय का विकल्प दिया है या जो निर्धारण प्राधिकारी या आयुक्त द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को विहित दस्तावेजों के साथ ई-विवरणी फाइल करता है या सॉफ्ट प्रति में विवरणी और दस्तावेज प्रस्तुत करता है, भिन्न प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी, यदि उसका पण्यवर्त किसी भी वर्ष में चालीस लाख रुपये से अधिक होता है, ऐसे वर्ष के संबंध में अपने लेखे उस वर्ष के अंत में विहित कालावधि के भीतर किसी लेखाकार से लेखापरीक्षित करवायेगा और विहित कालावधि के भीतर-भीतर विहित प्ररूप में, और ऐसे लेखाकार द्वारा, ऐसी विशिष्टियां और प्रमाण-पत्र, जो विहित किये जायें, उपर्णित करते हुए सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित और सत्यापित ऐसी लेखापरीक्षा की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

स्पष्टीकरण.—इस धारा के प्रयोजनों के लिए "लेखाकार" से चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949(1949 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 38) के अर्थान्तर्गत चार्टर्ड अकाउंटेंट अभिप्रेत है।

(2) xx xx xx xx
XX XX XX XX XX

राजस्थान विधान सभा

राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 को और संशोधित करने
के लिए विधेयक।

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरः स्थापित किया जायेगा)

एच. आर. कुड़ी,
सचिव।

(अशोक गहलोत, प्रभारी मंत्री)

Bill No. 8 of 2009

**THE RAJASTHAN VALUE ADDED TAX (AMENDMENT)
BILL, 2009**

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

(Authorised English Translation)

Bill No. 8 of 2009

**THE RAJASTHAN VALUE ADDED TAX (AMENDMENT)
BILL, 2009**

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

A

Bill

further to amend the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Fifty-ninth Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title and commencement.- (1) This Act may be called the Rajasthan Value Added Tax (Amendment) Act, 2009.

(2) It shall be deemed to have come into force with effect from 1st day of April, 2006.

2. Amendment of section 18, Rajasthan Act No. 4 of 2003.- For the existing sub-section (2) of section 18 of the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003 hereinafter referred to as the principal Act, the following shall be substituted, namely :-

“(2) The claim of input tax credit shall be allowed on the tax deposited on the basis of original VAT invoice within three months from the date of issuance of such invoice. However, claim of input tax credit of the additional tax deposited may be allowed on the basis of VAT invoice which has been issued subsequently in compliance with the decision of any competent court or authority, showing the tax at higher rate. If the first VAT invoice is lost, input tax credit may be allowed on the basis of a duplicate copy thereof, subject to such conditions as may be prescribed.”.

3. Substitution of section 23, Rajasthan Act No. 4 of 2003.- For the existing section 23 of the principal Act, the following shall be substituted, namely:-

“**23. Self Assessment.**- (1) Every registered dealer who has filed all the returns for the year within the

prescribed time shall, subject to the provisions of section 24, be deemed to have been assessed for that year on the basis of such returns filed under section 21.

(2) Notwithstanding anything contained in the sub-section (1), a dealer may opt for quarterly assessment by informing his assessing authority or the officer authorized by the Commissioner in writing, his intention to do so, within thirty days of the commencement of the year for which such option is being exercised. The dealer who has exercised such option and filed return within the prescribed time, shall, subject to the provisions of section 24, be deemed to have been assessed on the basis of return filed under section 21 for the quarter to which it relates. However, for the years 2006-2007 to 2008-2009 such option can be exercised within thirty days from the date of commencement of the Rajasthan Value Added Tax (Amendment) Ordinance, 2008 (Ordinance No. 6 of 2008) in the prescribed manner.

(3) The list of the registered dealers assessed under sub-section (1) or (2) may be published through electronic or print media and such publication shall be deemed to be due intimation to such dealers wherever required."

4. Substitution of section 24, Rajasthan Act No. 4 of 2003.- For the existing section 24 of the principal Act, the following shall be substituted, namely:-

"24. Assessment. - (1) Every return furnished by a registered dealer shall be subject to such scrutiny as may be determined by the Commissioner, to verify, its correctness and if any error is detected, the assessing authority or the officer authorized by the Commissioner shall serve a notice in the prescribed form on the dealer to rectify the errors and file a revised return within such period as may be specified therein.

(2) Where the registered dealer, who has opted for quarterly assessment, in pursuance of the notice issued under sub-section (1),-

- (a) files revised return in terms of the notice, and deposit the tax, if any, he shall be deemed to have been assessed under sub-section (2) of section 23, as per such revised return;
- (b) does not file revised return or the return filed by the dealer is not in terms of the notice, the assessing authority or the officer authorized by the Commissioner shall on the basis of material available on record, assess the dealer to the best of his judgment.

(3) Where the registered dealers, who are not covered under sub-section (2), in pursuance of the notice issued under sub-section (1),-

- (a) in case notice is issued for the quarterly return and the dealer files the revised return in terms of the notice and deposits the tax, if any, and no other error is detected in the annual return, then he would be deemed to have been assessed under sub-section (1) of section 23;
- (b) in case notice is issued for the annual return and the dealer files the revised return in terms of the notice and deposits the tax, if any, then he shall be deemed to have been assessed under sub-section (1) of section 23, as per such revised return;
- (c) does not file revised return or the return filed by the dealer is not in terms of the notice, the assessing authority or the officer authorized by the Commissioner would assess the dealer to the best of his judgment on the basis of material available on record.

(4) Where the dealer does not file any or all the return(s) within the prescribed period under section 21, the assessing authority or the officer authorized by the Commissioner shall,

assess the dealer on the basis of his books of accounts and of he fails to produce the same, to the best of his judgment for the year or the quarter, as the case may be.

(5) No assessment orders under this section shall be passed after the expiry of two years from the end of the relevant year, however, the Commissioner may for reasons to be recorded in writing, extend in any particular case, such time limit by a period not exceeding six months.

(6) Notwithstanding anything contained in sub-section (5), where an assessment order is passed in consequence of or to give effect to any order of an appellate or revisional authority or a competent court, it shall be completed within two years of the communication of such order to the assessing authority, however, the Commissioner may for reasons to be recorded in writing, extend in any particular case, such time limit by a period not exceeding six months."

5. Amendment of section 25, Rajasthan Act No. 4 of 2003.- In the existing sub-section (4) of section 25, of the principal Act, for the existing expression "relevant tax period", the expression "relevant year or quarter, as the case may be", shall be substituted.

6. Amendment of section 26, Rajasthan Act No. 4 of 2003.- In the existing sub-section (3) of section 26 of the principal Act, for the existing expression "period of return", wherever occurring, the expression "year" shall be substituted.

7. Amendment of section 34, Rajasthan Act No. 4 of 2003.- In section 34 of the principal Act,-

- (i) in the existing sub-section (1) of section 34 of the principal Act, for the existing expression "clause (b) of sub-section (2) of section 24", the expression "clause (b) of sub-section (2) of section 24, clause (c) of sub-section (3) of section 24, sub-section (4) of section 24" shall be substituted; and

- (ii) in the existing sub-section (2) of section 34 of the principal Act, for the existing expression “clause (b) of sub-section (2) of section 24”, the expression “clause (b) of sub-section (2) of section 24, clause (c) of sub-section (3) of section 24, sub-section (4) of section 24” shall be substituted.

8. Amendment of section 73, Rajasthan Act No. 4 of 2003.- In section 73 of the principal Act,-

- (a) in the existing sub-section (1) of section 73 of the principal Act, for the existing expression “exceeds rupees forty lacs”, the expression “exceeds rupees one hundred lac” shall be substituted; and
- (b) in the existing sub-section (1) of section 73 of the principal Act, for the existing Explanation the following shall be substituted, namely:-

“Explanation.- For the purposes of this section “Accountant” means. -

- (i) a Chartered Accountant within the meaning of the Chartered Accountants Act, 1949 (Central Act No. 38 of 1949); and
- (ii) a Cost Accountant within the meaning of the Cost and Works Accountants Act, 1949 (Central Act No. 23 of 1959).”.

9. Repeal and Savings. – (1) The Rajasthan Value Added Tax (Amendment) Ordinance, 2008 (Ordinance No.6 of 2008) is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, all things done, action taken or orders made under the principal Act as amended by said ordinance shall be deemed to have been done, taken or under the principal Act as amended by this Act.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Sub-Section (2) of section 18 provides that dealer may claim Input Tax Credit in the period in which he receives original VAT invoice, such credit is not available after three months from the date of such invoice. This has resulted in hardship to the dealers specially in cases where on account of some decision of the Court or determination by the competent authorities the rate of tax is higher than the tax charged by the dealer. In such cases the dealer has to deposit the additional amount of tax to the extent of difference in the rate of tax. In such cases, the period of three months from the date of original VAT invoice prohibits grant of input tax credit in such cases. With a view to mitigate this hardship, it is proposed to amend the existing provision to grant input tax credit in such cases.

In the existing system of assessments the dealers are assessed quarterly after scrutiny of the returns by accepting them if found correct. In the system, the VAT dealers are required to furnish trading and manufacturing accounts, profit and loss accounts, VAT audit report in cases required under the Act, after nine months of the close of the year. Similarly, a period of six months is allowed for the sales returns which reduce the output tax liability of the dealers. In case of works contracts the awardee issues Tax Deduction Certificate on annual basis. In all these prevailing circumstances when dealers are assessed on quarterly basis the significance of all the above referred documents ceases to have use in such assessments and the actual status of business is not revealed. To remove such existing anomalous situation, the scheme of the assessment under the VAT regime is proposed to be made annual instead of quarterly, however, the dealers who intend to be assessed on quarterly basis are being given option to do so. With this background in view, sections 23 and 24 are being

substituted and sections 25 and 26 of the Act are being amended. As a consequence to the above amendments, sub-sections (1) and (2) of section 34 of the Act is also proposed to be amended by incorporating the reference of the new provisions in section 24.

Under sub-section (1) of section 73 of the Act, dealers having annual turnover exceeding rupees forty lacs and who are not otherwise exempted from requirement to submit audit report are required to get his accounts audited by chartered accountant. In the interest of the trade and industry of the State, it is proposed to increase this limit to rupees one hundred lacs.

Since the amendments are being given retrospective effect from April 1, 2006, the action already taken under the Act before the promulgation of this Ordinance shall be validated.

Since the Rajasthan Legislative Assembly was not in session and circumstances existed which rendered it necessary for the Governor of Rajasthan to take immediate action, he, therefore, promulgated the Rajasthan Value Added Tax(Amendment) Ordinance, 2008 (Ordinance No. 6 of 2008) on 8th September, 2008, which was published in Rajasthan Gazette, Extraordinary, Part IV(B), dated 9th September, 2008.

This Bill seeks to replace the aforesaid Ordinance.

Hence the Bill.

अशोक गहलोत,
Minister Incharge.

**MEMORANDUM REGARDING DELEGATED
LEGISLATION**

By clauses 2 and 3 of the Rajasthan Value Added Tax (Amendment) Bill, 2008, the following powers are proposed to be delegated to the State Government:-

- (a) power to prescribe conditions where input tax credit may be allowed on the basis of a duplicate copy of the original VAT; and
- (b) power to prescribe manner for exercising option for quarterly assessment for the years 2006-2007 to 2008-2009;

The proposed delegations are with respect to matters of detail and are of a normal character.

अशोक गहलोत,
Minister Incharge.

rectify the errors and file a revised return within such period as may be specified therein.

(2) Where the registered dealer, in pursuance of the notice issued under sub-section (1),-

- (a) files revised return in terms of the notice, and deposits the tax, if any, he shall be deemed to have been assessed as per such revised return;
- (b) does not file revised return or the return filed by the dealer is not in terms of the notice, the assessing authority or the officer authorised by the Commissioner shall assess the dealer to the best of his judgment.

(3) Where the dealer does not file return within the prescribed period under section 21, the assessing authority or the officer authorised by the Commissioner shall, within two years from the last date prescribed for filing the return, assess the dealer to his best of judgment.

(4) Notwithstanding anything contained in sub-section (3), where an assessment order is passed in consequence of or to give effect any order of an appellate or revisional authority or a competent court, it shall be completed within two years of the communication of such order to the assessing authority; however, the Commissioner may for reasons to be recorded in writing, extends in any particular case, such time limit by a period not exceeding six months.

(5) Where a dealer opts under proviso to section 23, or where the State Government so directs by notification in the Official Gazette, a dealer may be assess annually and no such assessment order shall be passed after the expiry of two years from the end of the relevant year; however, the Commissioner may for

reasons to be recorded in particular case may extend such time limit a period not exceeding six months.

25. Assessment in case of avoidance or evasion of tax.-(1) to (3) XX XX

(4) Notwithstanding anything contained in this Act, where notice has been issued under sub-section (1), the authority issuing such notice shall be competent to make the assessment for the relevant tax period; and assessment, if any, already made shall be subject to the assessment made under this section.

26. Escaped assessment.- (1) to (2) XX XX

(3) No notice under sub-sections (1) and (2) shall be issued in respect of any escaped assessment for any period of return after the expiry of five years, and no assessment under the said sub-sections shall be completed after the expiry of eight years, from the end of the relevant period of return; but this limitation shall not be applicable to any assessment to be made in consequence of, or to give effect to, any finding or directions contained in any order passed by an appellate authority or the Tax Board or a competent court.

(4) XX XX XX XX
XX XX XX XX

34. Reopening of ex-parte assessment.-(1) Where an assessment has been made ex-parte under section 22 or clause (b) of sub-section (2) of section 24 or section 25 or section 26, or section 27, the Deputy Commissioner (Administration) may, on the application of the dealer made within thirty days of the date of service of the notice of demand in consequence of such assessment alongwith such fee as may be prescribed, by an order direct the assessing authority or the officer authorised by the Commissioner as the case may be, to cancel the assessment and

proceed to make a fresh assessment in accordance with the provisions of law.

(2) Before issuing direction under sub-section (1), the Deputy Commissioner (Administration) should be satisfied that the applicant dealer did not receive notice or summons issued to him under section 22 or clause (b) of sub-section (2) of section 24 or section 25 or section 26 or section 27 or that he was prevented by sufficient cause from complying with any notice or summons issued to him for assessment.

(3) XX XX XX
XX XX XX XX

73. Audit of Accounts.- (1) Every registered dealer, other than the dealer who has opted for payment of tax under sub-section (2) of section 3 or under section 5 or who files e-returns with prescribed documents or submits returns and documents in soft copy to the assessing authority or the officer authorised by the commissioner, shall, if his turnover exceeds rupees forty lacs in any year, get his accounts in respect of such year audited by an Accountant within the prescribed period from the end of that year and furnish within the prescribed period the report of such audit in the prescribed form duly signed and verified by such Accountant setting forth such particulars and certificates as may be prescribed.

Explanation.-For the purposes of this section "Accountant" means a Chartered Accountant within the meaning of the Chartered Accountants Act, 1949 (Central Act No. 38 of 1949).

(2) XX XX XX
XX XX XX XX

RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY

A

Bill

Further to amend the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003.

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

H.R. KURI,
Secretary.

(ASHOK GEHLOT, Minister - Incharge)